न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : 118/2011
GCMS NO. : **2011/00215**

–: प्रार्थीगण :–

1. रतनलाल दत्तक पुत्र गेना के फौत के कायम मुकाम
   1.1 सायरी बेवा रतनलाल
   1.2 ओगड़ाराम पुत्र रतनलाल
   1.3 नेमीचंद पुत्र रतनलाल
   1.4 पुसाराम पुत्र रतनलाल
   1.5 राजुराम उर्फ राजेन्द्र पुत्र रतनलाल
   1.6 गीता पुत्री रतनलाल
   1.7 रुकमा देवी पुत्री रतनलाल
2. मूला वल्द गोपूजी फौत के का.मु.
   2.1 चुन्नी देवी बेवा मूलाराम
   2.2 सत्यनारायण पुत्र मूलाराम
   2.3 पेमाराम पुत्र मूलाराम
   2.4 तूलछाराम पुत्र मूलाराम
   2.5 धन्नाराम पुत्र मूलाराम
   2.6 सोहनी देवी मूलाराम
   जातियान सभी माली निवासीगण बेरा रूपारेल निमाज तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. भैरा वल्द शिवलाल एवं माडी देवी बेवा भैरा के फौत के का.मु.
   1.1 सोहनलाल पुत्र भैरा
   1.2 मदनलाल पुत्र भैरा
   1.3 बुधाराम पुत्र भैरा
   1.4 केवलराम पुत्र भैरा
   1.5 छोटूराम पुत्र भैरा जातियान माली निवासीगण बेरा रूपारेल सरहद मौजा निमाज तहसील जैतारण
   1.6 कमली पुत्री भैरा पत्नी दमजी जाति माली निवासी बेरा पतालिया सरहद मौजा मेघदड़ा तहसील रायपुर
   1.7 रामकन्या पुत्री भैरा पत्नी तेजाराम जाति माली निवासी बेरा बोड़िया सरहद मौजा दीवावास रोड़ रायपुर तहसील रायपुर।
   1.8 पपली देवी पुत्री भैरा पत्नी रतनाजी जाति माली निवासी बेरा भीयाबाड़ी सरहद मौजा कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली।
   1.9 लीला देवी पुत्री भैरा पत्नी गणपतजी जाति माली निवासी बेरा काली टूक सरहद मौजा मेघदड़ा तहसील रायपुर जिला पाली।
   1.10 संतोष पुत्री भैरा पत्नी प्रकाश जाति माली निवासी बेरा काली टूक सरहद मौजा मेघदड़ा तहसील रायपुर जिला पाली।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग[illegible] 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं **आदेश** 39 नि[illegible] 151 सीपीसी

तारीख रजू:–22.[illegible]011

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित:–

1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वक्त सटलमेंट यानि दिनांक 15.10.1955 से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव आने में सरहद मौजा निमाज में चाके बेरा रुपारेल व इसका सड़ा खसरा नं. 795 रकबा 0.01 बिस्वा किस्म गैर मु.बेरा व खसरा नं. 796 रकबा 1.13 बीघा किस्म गैर मु.सडा वाके है उक्त बेरा रुपारेल का कुआ पर दो अरट लगे थे यानि दो ढ़ाणे थे उत्तरी ढ़ाणा गेना पुत्र सुजा एवं दक्षिणी ढाणा गोपू शिवराम पिसरान शिम्भू जातियान माली निवासीगण निमाज की खातेदारी कब्जे काश्त का कुआ था जिसमें गेना का 1/2 हिस्सा व गोपू व शिवराम का 1/2 हिस्सा था इसी अनुसार कुए व सड़े का पर्चा लगान 666 बन्दोबस्त विभाग द्वारा दिनांक 14.12.1954 को जारी किया गया, पर्चा लगान की प्रमाणित फोटोप्रति प्रार्थना के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा निमाज चक प्रथम में वाके बेरा रुपारेल का जाव खसरा नं. 792 रकबा 19.02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नं. 794 रकबा 19–13 बीघा किस्म चाही प्रथम व खसरा नं. 798 रकबा 09–17 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल खसरान तीन कुल रकबा 48–12 बीघा वाके है जिस पर दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से बतौर खातेदार काश्तकार के गेना वल्द सुजा जाति माली निवासी निमाज काबिज खातेदार काश्तकार थे उक्त भूमि का सेटलमेंट विभाग द्वारा पर्चा लगान सं. 665 दिनांक 14.12.1954 को जारी किया, जिसमें गेना वल्द सुजा बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है उक्त पर्चा लगान की प्रमाणित फोटोप्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा निमाज में वाके कृषि भूमि खेत मगरा वाला खसरा नं. 946 रकबा 4–17 बीघा किस्म बा. प्रथम व खसरा नं. 947 रकबा 2–16 बीघा किस्म बा. प्रथम कुल रकबा 7–13 बीघा किस्म बा. प्रथम के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार गेना वल्द सुजा थे व 1/2 हिस्से पर बिरदा वल्द दौला का था उनके नाम का पर्चा लगान नं. 218 बन्दोबस्त विभाग द्वारा दिनांक 14.12.1954 को जारी किया गया, जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। खसरा नं. 792 रकबा 19–02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नं. 794 रकबा 19–13 बीघा किस्म चाही प्रथम व खसरा नं. 798 रकबा 9–17 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल खसरान तीन कुल रकबा 48.12 बीघा सरहद मौजा निमाज चक प्रथम बेरा रुपारेल का जाव की कृषि भूमि व खसरा नं. 795 रकबा 0.01 बिस्वा किस्म गैर मु.बेरा व खसरा नं. 796 रकबा 1[illegible] किस्म गैर मु.सडा भूमि बेरा रुपारेल की कृषि भूमि में से [illegible] 794 व 798 कूल रकबा 48.12 बीघा सम्पूर्ण के भूमि के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार गेना वल्द सुजा थे व खसरा नं. 795 व 796 कुल रकबा 1–14 बिस्वा के 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार गेना वल्द सुजा थे इसी रुप में जमाबन्दी खतौनी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

का नाम दर्ज था उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2016 से 019 एवं 2020 से 2023 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है से प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। गेना वल्द सुजा का देहान्त सम्वत् 014 के मिक्सर बद चौथ को मौजा निमाज में हो गया, व मृत्यु से पूर्व गेना उसकी पत्नी ने सायलान् सं. एक से लगायात सात के पिता व पति स्व.श्री तनलाल पुत्र गोपू जाति माली निवासी निमाज को जाति रिवाज व हिन्दू धर्म नुसार गोद ले लिया व स्व. गेना वल्द सुजा की तीन जायन्दा पुत्रिया हस्तुडी, ाटुडी व मांगुडी थी गेना ने अपना बेरा रुपारेल का जाव व बेरा का 1/2 हिस्सा कुआ व सडे का 1/2 का आधार यानि 1/4 हिस्से की जमीन अपनी पुत्री मांगुडी को वसीयत कर दी, जरिये वसीयत गेना की उक्त आधी जमीन मांगुडी खातेदार काश्तकार हो गई व गेना वल्द सुजा के फौत होने के पश्चात् व गेनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में रतनलाल वल्द गोपू के नाम का विधिवत् गोदनामा लिखकर पंजीयन नहीं करवाने के कारण मृत्यु से पूर्व गेना ने अपनी पत्नी सिंगारी को कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे व तुम्होरे पुत्र के रूप में रतनलाल जो मेरे सगे भाई गोपू का पौता है को गोद ले लेना, इस पर सिंगारी बेवा गेना जाति माली निवासी निमाज ने रतनलाल पुत्र गोपू जी जाति माली जो सायलान् सं. एक से लगायात 7 के पति व पिता है को जरिये लिखित पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 08.08.1958 को गोदनामा तहरीर व तकमील करवाकर उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पंजीयन करवाया, दिनांक 08.08.58 को रतनलाल के माता-पिता फौत हो चुके थे उन्होंने जीवनकाल में ही गेना व सिंगारी को जाति रिवाज के अनुसार दिनांक 18.12.1954 को गोद ले लिया व गेना के रतनलाल के गोद लेने के पश्चात् उसके माता-पिता फौत हो गये व गेना भी फौत हो गया, तब दिनांक 8.08.1958 को सिंगारी बेवा गेना ने माफिक जाति रिवाज व हिन्दू धर्म से अपने दत्तक पुत्र रतनलाल के पक्ष में गोदनामा लिखकर उसका पंजीयन करवाया। मूल लिखित पंजीबद्ध गोदनाम रतनलाल का खो गया है उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। स्व. गेना वल्द सुजा ने अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि व बेरा रूपारेल का जाव खसरा नं. 792, खसरा नं. 794 व खसरा नं. 798 के 1/2 हिस्से व खसरा नं. 795 व खसरा नं. 796 में गेना के 1/2 हिस्से का 1/2 यानि कूल का 1/4 वां हिस्सा अपनी जायन्दा पुत्री मांगुडी को वसीयत कर दिया था वसीयत के आधार पर उक्त जाव की 1/2 व कुए व सड़े की 1/2 हिस्से कृषि भूमि दिनांक 29.05.1962 को जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान रुपये 2,000/- अक्षरे दो हजार रुपये में खसरा नं. 792, खसरा नं. 794 [illegible] नं. 798 की 1/4 हिस्से की भूमि सायलान् सं. एक से लगायात [illegible] रतनलाल दत्तक पुत्र गेना एवं सायल सं. आठ मूला वल्द गोपू को [illegible] 1000/- अक्षरे एक हजार रुपयें लेकर बैचान की, व आधार हिस्सा गैरसायलान् सं. 1/1 से 1/11 के पति एवं पिता भेरा वल्द शिवलाल जाति माली निवासी निमाज को रुपयें 1000/- अक्षरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

हजार रुपये लेकर बैचान कर दी, तब से खसरा नं. 792, खसरा नं. 794 खसरा नं. 798 कूल रकबा 48.12 बीघा भूमि में सायलान् सं. एक से गायात सात के पति व पिता स्व. रतनलाल का बतौर दत्तक पुत्र गेना के 1/2 स्सा व बकाया 1/2 हिस्सा का 1/4 हिस्सा यानि कूल का 1/8 हिस्सा का तौर खरीददार के यानि बतौर दत्तक पुत्र के रकबा 24.06 बीघा व बतौर दत्तक त्र के रकबा 6.03 बीघा यानि कुल 30.09 बीघा भूमि के स्व. श्री रतनलाल त्तक पुत्र गेना व उनके वारिसान सायलान् सं. एक से लगायात सात बतौर ब्रातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त करते आ रहे है इसी प्रकार खसरा नं. 795 व खसरा नं. 796 कूल रकबा 1.14 बीघा के 1/2 का 1/2 यानि कुल का 1/4 हिस्से का रतनलाल गेना के दत्तक पुत्र के रूप में खातेदार काश्तकार है व गेना की पुत्री मांगुड़ी को वसीयत में दिये गये 1/2 का 1/2 यानि 1/4 हिस्से का लिखित पंजीबद्ध बैचान के अनुसार 1/4 हिस्से का 1/4 यानि कुल का 1/16 हिस्से के बतौर खातेदार काश्तकार स्व. रतनलाल के वारिसान सायलान् सं. एक से लगायात सात काबिज खातेदार काश्तकार है सायल सं. आठ मूल वल्द गोपू जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 29.05.1962 के अनुसार खसरा नं. 795 व 796 के 1/16 व खसरा नं. 792, खसरा नं. 794 व खसरा नं. 798 के 1/8 हिस्से की भूमि के बतौर खरीददार के काबिज खातेदार काश्तकार हैं व खसरा नं. 795 व 796 में मूला का अपने पिता गोपू के रतनलाल के गोद जाने के बाद बकाया तीनों भाई मूला सायल सं. 8, पन्ना गैरसायलान् संख्या दो व मृतक चन्द्रा के कायम मुकाम गैरसायलान सं. 3/1 से 3/5 तीनों का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा यानि कुल 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार है व गैरसायलान् सं. एक से लगायात 1/11, जो भेरा वल्द शिवलाल जाति माली निवासी निमाज के कायम मुकाम एवं उत्तराधिकारी है गेना वल्द सुजा की खातेदार कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 792, खसरा नं. 794 व खसरा नं. 798 कुल रकबा 48.12 बीघा वाके सरहद मौजा निमाज प्रथम के गेना वल्द सुजा की जायन्दा पुत्री मांगुड़ी को उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा जरिये वसीयत के मांगुडी को प्राप्त हुआ, उसकी खातेदार काश्तकार थी ने उक्त भूमि की 1/2 हिस्से का 1/2 यानि कूल का 1/4 हिस्सा का बारह बीघा साढ़े ग्यारह विस्वा भूमि 1000/- रुपये जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 29.05.1962 के खरीदी, उक्त असल लिखित पंजीबद्ध वैचान गैरसायलान भेरा वल्द शिवलाल उर्फ शिवराम जाति माली निवासी निमाज जिसके वारिसान गैरसायलान् सं. 1/1 से लगायात 1/11 के कब्जे व नियंत्रण में है उक्त पंजीबद्ध वैचान की प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। इस [illegible] पंजीबद्ध वैचान से बतौर खरीददार के भेरा वल्द शिवलाल व[illegible] गैरसायलान् सं. 1/1 से लगायात 1/11 पाबन्द है। रतनलाल दत्तक पुत्र गेना जी के जरिये रजिस्टर्ड पंजीबद्ध गोदनामे के रतनलाल गेना वल्द सुजा का दत्तक पुत्र है सायलान् व सायलान् के पिता रतनलाल सभी हिन्दू धर्म के अनुयायी थे जाति से हिन्दू थे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

एडप्शन एण्ड मेंटीनेंस एक्ट, 1956 की धारा 16 अनुसार रतनलाल गेनाराम रजिस्टर्ड गोद नामे के आधार पर दत्तक पुत्र है व दत्तक पुत्र होने की कानूनी वधारणा है कानूनी अनुसार दत्तक पुत्र माना जायेगा, इस कानूनी प्रावधान व जेस्टर्ड गोदनामा के आधार पर रतनलाल गेना वल्द सुजा का गोद पुत्र है व गेना ा वारिसान व उत्तराधिकारी है। गैरसायलान् सं. एक से लगायत 1/11 के पिता पति भेरा वल्द शिवलाल ने गेनाराम की जायन्दा पुत्री मांगुडी से गेनाराम से सीयत से प्राप्त भूमि खसरा नं. 792, खसरा नं. 794 व खसरा नं. 798 की ूमि का हिस्सा स्वयं व खसरा नं. 795 व 796 रतनलाल व मूला द्वारा जरिये लेखित पंजीबद्ध वैचान के खरीद किया, उक्त मूल बैचान भेरा के पास था ैचाननामा हल्का पटवारी को पेश नहीं कर पटवारी हल्का निमाज को स्वयं को गेना वल्द सुजा जाति माली निवासी निमाज की खातेदारी काश्तकार कृषि भूमि खसरा नं. 792, खसरा नं. 794 व खसरा.नं.. 798 व खसरा नं 795 व 796 की कृषि भूमि जो मृतक गेना वल्द सुजा के नाम गेना के दहान्त सम्वत् 2014 यानि वर्ष 1957 में हो चुका था उसकी आधी जमीन उसकी पुत्री मांगुडी को वसीयत कर दी थी जिसमें लिखित पंजीबद्ध वैचान दिनांक 29.05.62 के स्वयं भेरा वल्द शिवलाल ने स्वयं को शिवलाल का पुत्र होना बताकर गेना की पुत्री से जमीन खरीदी, उक्त बैचान में गेना का फौत होना व उसका दत्तक पुत्र रतनलाल होना व आधी भूमि पुत्री मागुडी जरिये वसियत से प्राप्त होने व उसको रुपये देकर जमीन भेरा द्वारा खरीदने का लिखित पंजीबद्ध बैचान होते हुए बैचान के आधार पर म्यूटेशन नहीं भराकर पटवारी हल्का निमाज से दिनांक 11.10.1966 को भेरा वल्द शिवलाल ने स्वयं को गलत रूप से गेना वल्द सुजा का दत्तक पुत्र होना बताकार गेना की फौतेदगी म्यूटेशन बाबत् बेरा रूपारेल व उसका जाव खसरा नं. 792, खसरा नं. 794 व खसरा नं. 798 कूल रकबा 48.12 बीघा व खसरा नं. 795 व 796 कुल रकबा 1-14 बीघा कृषि भूमि एवं खसरा नं. 946, 947 कुल रकबा 7-13 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में स्वयं को गेना का दत्तक पुत्र बताकर म्यूटेशन सं. 119 दिनांक 13.10.1966 का ग्राम पंचायत निमाज से पारित करवाया, जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। भेरा व गैरसायलान् सं. एक से 1/11 गेना वल्द सुजा का न तो दत्तक पुत्र था ना रहा, इसलिए म्यूटेशन सं. 119 मौजा निमाज दिनांक 23.10.1966 अवैध व गैरकानूनी है नल एण्ड वॉईड एवं प्रभाव शून्य है। जिसे भेरा वल्द शिवलाल उसकी मृत्यु के बाद रेकर्ड में गलत रूप से जरिये म्यूटेशन सं. 119 के गेना की भूमि भेरा के नाम दर्ज होने व भेरा के फौत होने पर गैरसायलान् सं. 1/1 से लगायत [illegible] के नाम दर्ज हुई है जो एक रोग एन्ट्री है भेरा वल्द शिवलाल [illegible] का खसरा नं. 795 व 796 कुल रकबा 1.14 बीघा में भेरा वल्द शिवलाल द्वारा गेना वल्द सुजा की उक्त भूमि की 1/2 हिस्से में जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 29.05.1962 के तहत गेनाराम के 1/2 हिस्से की भूमि का 1/2 हिस्सा मांगुडी को वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

यानि मांगुडी को प्राप्त 1/4 हिस्से का 1/2 हिस्सा यानि कुल का 1/8 स्से के खरीददार भेरा बल्द शिवलाल व उसकी मृत्यु के बाद गैरसायलान् सं. 1 से 1/11 खातेदार काश्तकार है। बेरा रूपारेल व उकस जाव खसरा नं. 92, खसरा नं. 794 व खसरा नं. 790 कूल रका 48-12 बीघा भूमि के 1/2 स्से का बतौर दत्तक पुत्र रतनलाल व उसकी मृत्यु के बाद सायलान् सं. एक से गायात सात काबिज खातेदार काश्तकार है व उक्त भूमि के 1/2 हिस्से की रकबा 4-06 बीघा की 1/2 हिस्सा जो मागुडी को वसीयत में प्राप्त हुई के 1/2 हिस्से ानि सम्पूर्ण भूमि के 1/4 हिस्सा माफिक बैचान भेरा वल्द शिवलाल व उसके ारिसान गैरसायलान् सं. 1/1 से लगायात 1/11 खातेदार काश्तकार है व रकबा 24-06 बीघा भूमि रतनलाल को बतौर दत्तक पुत्र पिता गेना से विरासत से प्राप्त व बहिन मांगुडी से खरीद सुदा रकबा 6-03 बीघा कुल रकबा 30-09 बीघा के काबिज खातेदार काश्तकार रतनलाल व उसके वारिसान सायलान् सं. एक से लगायात सात है उक्त खसरा नं. 792, खसरा नं. 794 व खसरा नं. 798 कूल रकबा 48-12 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से का 1/4 यानि कुल का 1/8 की रकबा 6-03 बीघा भूमि का बतौर खरीददार के सायल सं. आठ मूला खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार जमाबन्दी खतौनी व राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के अपना नाम सायलान् दर्ज करवाने के अधिकारी है। म्यूटेशन सं. 119 अवैध व गैरकानूनी है उसे रद्द घोषित किया जावे, ऐसी घोषणा की डिक्री बहक सायलान् खिलाफ गैरसायलान् से प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र घोषणा खिलाफ गैरसायलान् के पेश है। सहरद मौजा निमाज प्रथम वाके कृषि भूमि खसरा नं. 946 रकबा 4-17 बीघा किस्म बा. प्रथम व खसरा नं. 947 रकबा 2-16 बीघा किस्म बा. प्रथम कुल रकबा 7-13 बींघा किस्म बा. प्रथम जिसके पर्चा लगान व जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2065 से 2068 वाद के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उक्त कृषि भूमि में गेना वल्द सुजा जी उनके दत्तक पुत्र रतनलाल गोद पुत्र गेना व रतनलाल के फौत होने पर उसके वारिसान सायलान् सं. एक से लगायात सात उक्त भूमि के 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है व गैरसायलान् सं. 1 से लगायात 1 / 11 के पति व पिता भेरा वल्द शिवलाल जरिये गेना के फौतेदगी म्यूटेशन सं. 119 दिनांक 23.10.66 ग्राम पंचायत निमाज द्वारा गैरसायलान् सं. 1/1 से लगायात 1/11 के पति व पति भेरा का गलत रुप से गेना वल्द सुजा का दत्तक पुत्र के रूप में भरे गये म्यूटेशन व उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में किया गया इन्द्राज व भेरा के फौत होने पर गैरसायलान् सं. 1/1 से लगायात 1/11 के नाम का किया गया इन्द्राज एक रोंग एन्ट्री है गैरसायलान् सं. एक का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है, 1/2 हिस्से की भूमि के रिकॉर्ड काबिज खातेदार काश्तकार सायलान् है व 1/2 हिस्सा गैरसायलान् सं. 5 बिरदा व उसके वारिसान की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है इसी अनुसार सायलान् को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र घोषणा खिलाफ गैरसायलान् के पेश है। उपर्युक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

र्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नं. 795 रकबा 0-01 बिस्वा किस्म गैर बेरा व खसरा नं. 796 रकबा 1-13 बीघा किस्म गैर मु.सडा में गेना वल्द जा के वारिसान के रूप में सायलान् सं. एक से लगायत सात का 1/4 हिस्सा बतौर खरीददार के 1/16 हिस्सा की भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करने ; बाद व सायलान् स. 8 के 1/16 के खातेदार काश्तकार घोषित करने के बाद इसी प्रकार खसरा नं. 792, खसरा नं. 794 व खसरा नं. 798 कुल रकबा 18-12 बीघा में बतौर गेना के वारिसान के 1/2 हिस्से की 24-06 बीघा व तौर खरीददार की 6-03 बीघा कुल रकबा 30.09 बीघा जो सायलान् सं. एक से लगायात सात की व सायल सं. आठ की खरीद सुदा 6-03 बीघा गैरसायलान् सं. एक से लगायात 1/11 की खरीद सुदा 12-03 बीघा भूमि हिस्सानुसार सायलान् व गैरसायलान् के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के मौके पर पैमाईश कर बन्टवाडा कर हिस्से अलग अलग कर व नेखमवन्दी व पत्थरगढ्ढी मौके पर भूमि का बन्टवाड़ा किया जावे व लगान बाटा जावे, खाता अलग-अलग दर्ज किया जावे, बाद बन्टवाडा सायलान् के हिस्से की जमीन नक्शा ट्रेश में जरिये तरमीम अलग दर्शाई जावे, ऐसी तकास्मा आराजी की डिक्री बह सायलान् खिलाफ गैरसायलान् प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र तकास्मा आराजी खिलाफ गैरसायलान् के पेश है। सरहद मौजा निमाज खसरा नं. 795 खसरा नं. 796 कुल रकबा 1-14 बीघा भूमि के 1/4 हिस्से के गेना वल्द सुजा व उसके दत्तक पुत्र रतनलाल के वारिसान सायलान् सं. एक से लगायात सात उक्त कुए व सड़े के गेनाराम के उत्तराधिकारी के रूप में 1/4 हिस्से व गेना की पुत्री मांगुडी को गेना से जरिये वसीयतनामा प्राप्त उक्त वर्णित भूमि के 1/2 का 1/2 कुल 1/4 हिस्से की भूमि का 1/4 यानि कुल का 1/16 जरिये लिखित पंजीबद्ध वैचान दिनांक 29.05.1962 के बतौर खरीददार के सायलान् सं. एक से लगायात बतौर खातेदार काश्तकार है साल सं. आठ मूला जरिये लिखित पंजीबद्ध वैचान दिनांक 29.05.1962 के 1/16 के खरीददार के खातेदार काश्तकार व गैरसायलान् सं. एक से लगायात 1/11 के पिता व पति भेरा वल्द शिवलाल जरिये लिखित पंजीबद्ध वैचान द्वारा मांगुडी से 1/4 हिस्से का 1/2 कुल का 1/8 हिस्से के दिनांक 29.05.1962 के रजिस्टर्ड बैचान के अनुसार बतौर खरीददार खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार खसरा नं. 792, खसरा नं. 794 व खसरा नं. 798 कुल रकबा 48-12 बीघा सहर मौजा निमाज प्रथम के 1/2 हिस्से के गेना के दत्तक पुत्र रतनलाल व उसकी मृत्यु के बाद सायलान् सं. एक से लगायात सात खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि का [illegible] पुत्री मांगुडी को किये गये वसीयत के खातेदारी कब्जे काश्त की मांगुडी द्वारा [illegible] गये वैचान दिनांक 29.05.1962 के अनुसार उक्त 1/2 [illegible] 1/4 हिस्से की 12-03 बीघा जरिये लिखित पंजीबद्ध वैचान दिनांक 29.05.1962 भैरा वल्द शिवलाल की खरीद सुदा भूमि के भेरा के वारिसान गैरसायलान् स. एक से लगायात 1/11 काबिज खातेदार काश्तकार है व सायलान् सं. एक से लगायात

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

के पिता व पति रतनलाल दत्तक पुत्र गेना बतौर खरीददार के 6-03 बीघा व सायलान् सं. आंठ बतौर खरीददार के 6-03 बीघा बतौर खरीददार के खातेदार काश्तकार है ऐसी घोषणा प्राप्त करने के सायलान् अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र घोषणा खिलाफ गैरसायलान् के पेश है। व उपरोक्त पद में वर्णित आराजी खसरा नं. 792, 794, 798 व खसरा नं. 795 व 796 एवं खसरा नं. 946 व 947 की सम्वत् 2065 से 2068 की चालु जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। सायलान् शांतिपूर्वक उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित फिकरे में दर्शाये व बताये अनुसार मृतक गेना वल्द सुजा के वारिसान व दत्तक पुत्र रतनलाल व रतनलाल के फौत होने पर उसके वारिसान सायलान् सं. एक से लगायात सात उसकी भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त करते है मृतक भेरा वल्द शिवलाल व गैरसायलान् सं. 1 से लगायात 1/11 का गेना वल्द सुजा के न तो वारिसान है न ही उनका गेना की मृत्यु से कोई लेना देना है केवल गेना की पुत्री मांगुडी से जरिये बैचान नामा दिनांक 29.05.1962 अनुसार बैचान में दर्शाये भूमि व भू-भाग के बतौर खरीददार के काबिज खातेदार काश्तकार है। भेरा द्वारा गेना की पुत्री मांगुडी से दिनांक 29.05.62 से जमीन खरीदने के बाद सन् 1966 में गेना का गलत रुप से दत्तक पुत्र होना बताकर गलत इन्द्राज करवां दिया, उसकी मृत्यु के बाद गैरसायलान् सं. एक से लगायत 1/11 का नाम दर्ज हो गया, जिससे उनको कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है गेना वल्द सुजा की भूमि में गैरसायलान् सं. 1 लगायात 1/11 का बतौर वारिसान के कोई हक, अधिकार व कब्जा काश्त ना था ना है ऐसी घोषणा सायलान् प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र घोषणा खिलाफ गैरसायलान् के पेश है। प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त फिकरे में वर्णित गेना वल्द सुजा की भूमि में बतौर वारिसान के भेरा वल्द शिवलाल व उनके वारिसान गैरसायलान् सं. एक से लगायात 1/11 का कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है गैरसायलान् सं. एक से लगायात 1/11 का नाम जमाबन्दी खतोनी में एक रोंग एन्ट्री के रूप में दर्ज है इस गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान् ने गलत रूप से प्रतिवादी सं. 6 एम. जी. बी. शाखा निमाज व प्रतिवादी सं. सात एस. बी. बी. जे. शाखा निमाज से भूमि को गलत रूप से रहन रखना बताकर ऋण प्राप्त किया, जिसका इन्द्राज जमाबन्दी खतौनी में होने से दोनों बैंकों को वाद में प्रतिवादीगण बनाया गया है। जमाबन्दी खतौनी में वादग्रस्त कृषि भूमि बेरा रुपारेल व उसका जाव व मगरा वाला खेत पूरी कृषि भूमि का हावाला उपर दिया गया है जो गलत इन्द्राज के आधार पर सायलान् का नाम दर्ज नहीं होने से गैरसायलान् सं. एक से लगायात 1/11 ने दिनांक 17.07.2011 को सायलान् को एलानिया धमकी दी की वादग्रस्त भूमि में काश्त नहीं करने देगे, व बेदखल कर देंगे, रेकर्ड के आधार पर बैचान, इकरार, वसीयत, दान आदि कर देंगे, जबकि गैरसायलान् को ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान् द्वारा ऐसा किया गया तो सायलान् उन्हें हरगीज ऐसा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

दे देंगे, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, सायलान् को गैरसायलान् के विरुद्ध बार बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे सायलान् को अपूर्णीय हानि होगी, जिसका मूल्यांकन रुपयों में नहीं किया जा सकता, इसलिए सायलान् गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान् के पेश है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात् के आधार पर सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बखूबी साबित है व सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बनना पाया जाता है। गैरसायलान द्वारा बिना किसी आधार व अधिकार के वादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में एक रोग एन्ट्री एवं गलत इन्द्राज के आधार पर बैचान, इकरार रहन, वसीयत, भोगवाना करना चाहते हैं जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/10 की ओर से वकालतनामा पेश किया किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/10 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित बेरा रूपारेल व उसका सड़ा से सम्बन्धित कथन सही होने से स्वीकार है। साथ ही इसमें गैनाराम पुत्र सुजाराम का 1/2 वा हक हिस्सा व अधिकार होने के कथन भी सही होने से स्वीकार है। व शेष 1/2 वा हिस्सा दीगर हिस्सेदारो का था। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित बेरा रूपारेल व उसके जाव के खसरा नम्बर 792, 794, 798 की कुल भूमि 48 बीघा 12 बिस्वा आई हुई होने व. उक्त भूमि गैनाराम पुत्र सुजाराम जी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने के कथन सही होने से स्वीकार है। इसी प्रकार गैनाराम पुत्र सुजाराम जी के पास खसरा नम्बर 946 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 947 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा में गैनाराम जी का 1/2 वा हिस्सा था। गैनाराम के स्वर्गवास होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 119 के उक्त भूमि भैराराम पुत्र गैनाराम जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। इस प्रकार से उक्त नामान्तकरण हल्का पटवारी द्वारा भरा जाकर ग्राम के आम सभा में पेश करते हुये बाद जांच के सर्वसहमति से स्वीकार किया गया था। जिसकी जानकारी गैरसायलान को रही है। उसी प्रकार गोपुराम पुत्र शिम्भ जी के फौत पर उनके वारिसान मुला, रतना, पन्ना, चन्दरू के नाम भी उक्त नामान्तकरण संख्या 119 ही भरा गया था। इस प्रकार से नामान्तकरण संख्या 119 की कार्यवाही रतनलाल पुत्र गोपुराम जी व भैराराम दत्तक पुत्र गैनाराम जी दोनो ने संयुक्त रूप से [illegible] करते हुये नामान्तकरण करवाया था। उसी के आधार पर [illegible] भैराराम जी के वारिसन की हैसियत से जवाब देहन्दागण काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित खसरा नम्बर 946 व 947 का कुल 07 बीघा 13 बिस्वा भूमि में 1/2 वा हिस्सा गैनाराम पुत्र सुजा जी का होने के कथन सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

...से स्वीकार है। जिस पर गैनाराम के बाद भैराराम दत्तक पुत्र गैनाराम जी एवं ...नके वारिसान काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में ...र्णित तथ्यो का जवाब है कि इस प्रकरण में वास्तविकता इस प्रकार से है कि ...राजस्व मौजा निमाज चक प्रथम तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर ...795 रकबा 00-01 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 796 रकबा 1-13 ...बीघा गै.मु. सड़ा कुल खसरा 02 कुल रकबा 1-14 बीघा में गैनाराम पुत्र ...सुजाराम जी का 1/2 वा हिस्सा था। इसी प्रकार खसरा नम्बर 792 रकबा 19-02 बीघा चाही प्रथम खसरा नम्बर 794 रकबा 19-13 बीघा चाही प्रथम खसरा नम्बर 798 रकबा 9-17 बीघा चाही प्रथम कुल खसरा 3 कुल रकबा 48-12 बीघा की सम्पूर्ण भूमि गैनाराम पुत्र सुजाराम जी की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। तथा खसरा नम्बर 946 रकबा 4-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 947 रकबा 2-16 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 7-13 बीघा में गैनाराम पुत्र सुजाराम जी का 1/2 वा हक हिस्सा था। गैनाराम पुत्र सुजाराम जी के स्वर्गवास होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 119 के जरिये उक्त आराजी भैराराम पुत्र गैनाराम जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई थी। उक्त नामान्तकरण हल्का पटवारी द्वारा भरा जाने के उपरान्त ग्राम की आम सभा में पेश किया गया था जिसमें सर्व सम्मति से उक्त नामान्तरणकरण स्वीकार किया गया था। जिसकी जानकारी सायलान के उनके पूर्वजो को भी भलिभांति थी। इस प्रकार से भैराराम जी का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में जवाब देहन्दागण के नाम से दर्ज हो चुकी है। जिसकी नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिया इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। साथ ही इस वादग्रस्त भूमि के सहहिस्सेदार गोपूराम पुत्र शिम्भु जी के फौत होने पर भी मुला, रतना, पन्ना, चन्दरू पिसरान गोपुराम के नाम का भी म्यूटेशन भरा गया था। उक्त प्रविष्टि भी इसी नामान्तकरण संख्या 119 में है। इस प्रकार से उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही रतनलाल पुत्र गोपुराम जी व भैराराम दत्तक पुत्र गैनाराम जी दोनो ने संयुक्त रूप से आपसी सहमति से करवायी थी। तथा दोनो की सहमति के आधार पर ग्राम पंचायत से जांच करने के उपरान्त ही उक्त नामान्तकरण संख्या 119 स्वीकृत हुआ है। जिससे भी साबित है कि सायलान का पिता रतनलाल, गैनाराम पुत्र सुजाराम जी का दत्तक पुत्र नही होकर के गोपुराम पुत्र शिम्भु जी का पुत्र है तथा जवाब देहन्दागण के पिता भैराराम जी ही गैनाराम जी के दत्तक पुत्र है। साथ ही यहां पर यहं भी उल्लेखनीय है कि रतंनलाल पुत्र गोपुराम जी के नाम की राजस्व रेकर्ड में व अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रविष्टिया चलती रही है तथा गैरसायलान/जवाब देहन्दागण के पिता भैराराम [illegible] राजस्व रेकर्ड व सरकारी दस्तावेजात में भैराराम दत्तक पुत्र गैनाराम जी के नाम [illegible] प्रविष्टिया चली आ रही है। इस प्रकार से सायलान का इस प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि से किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं है, न ही कभी रहा है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

न कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। बल्कि इस प्रकरण में स्तविकता इस प्रकार है कि जवाब देहन्दागण द्वारा प्रस्तुत वंशावली के अनुसार वाब देहन्दागण के दादा व पूर्वज गैनाराम पुत्र सुजाराम जी के कोई जायन्दा पुत्र हीं था। इसी वजह से गैनाराम पुत्र सुजाराम जी व उनकी वैद्य विवाहिता पत्नि ग्गनी देवी ने जवाब देहन्दागण के पिताजी भैरारामजी को माफिक हिन्दू रिति रिवाज अनुसार कार्तिक सुद पूर्णिमा सम्वत 2012 को गोद लिया था। उस समय भैरारामजी के पिताजी शिवलालजी व माता जिमनाई देवी ने भैरारामजी को गैनारामजी व उनकी पत्नि छगनाई देवी को गोद दिया था, तब गैनारामजी के सभी रिश्तेदार पारिवारिक सदस्य एकत्र हुये थें तथा उस दिन मंगल गीत गाये गये थे, मिठाईया बनाई गई व सभी रिश्तेदारों को भोजन कराया गया। उस समय गैनराम जी ने भैराराम जी को अपनी गोद में बैठाकर सबके सामने भैराराम के पाग बधाई (साफा बंधवाया) तथा हिन्दू रिति रिवाज अनुसार गोद का अनुष्ठान पूर्ण कर भैराराम जी को अपना पुत्र होना घोषित किया था, तब से ही जवाब देहन्दागण के पिता भैराराम अपने दत्तक पिता गैनाराम जी व दत्तक माता छगनी देवी के साथ सामलाती ही रहने लग गये थे तथा भैरारामजी ने अपने दत्तक माता पिता की पूरी सेवा की थी, तथा अपनी बहिने हस्तुदेवी व गटूदेवी भी बहिनो के रूप में माना व इसी अनुरूप गटूदेवी व हस्तु देवी के परिवार में शादी तीज त्यौहार व अन्य उत्सवो पर हाजिर होकर के बतौर भाई के रूप में खर्च किये गये थे। इसी प्रकार हस्तु देवी व गटूदेवी दोनो ने ही भैराराम जी को अपना सगा भाई होना स्वीकार किया था। इस प्रकार से जवाब देहन्दागण के जाति समाज में भी भैराराम जी को गैनाराम जी के पुत्र के रूप में ही जाना व पहचाना जाता रहा है। गैनारामजी का स्वर्गवास होने पर माफिक गोदनामा के अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही हुई जिसमें भैरारामजी के नाम का नामान्तकरण 119 भरा जाकर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार करते हुये भूमि के राजस्व रेकर्ड में भैरा वल्द गैना का अंकन सही किया गया था। जिसके सबूत के रूप में जमाबन्दी सवत 2016 से 2019 व जमाबन्दी सवत 2024 से 2027 व उसके बाद की चौशाला जमाबन्दी जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार भैराराम जी के समस्त राजस्व रेकर्ड व सरकारी दस्तावेजो में भी वल्दियत गैनाराम जी की ही दर्ज कर दी गई थी। इस प्रकार से गैनाराम पुत्र सुजाराम जी के विधिक उत्तराधिकारी दोनो पुत्रीया हस्तुदेवी व गटूदेवी व भैराराम जी ही थे , उक्त तीनो ही भाई बहिनो का स्वर्गवास हो चुका है। जवाब देहन्दागण सभी गैनाराम पुत्र सुजाराम जी के पौत्र है तथा हिन्दू विधि के अनुसार गैनाराम जी के विधिक उत्तराधिकारी है कि गैनाराम पुत्र सुजाराम जी के वैद्य विवाहिता पत्नि छगनी देवी ही थी तथा गैनाराम व छगनी देवी के कोई जायन्दा पुत्र नही हुआ था। उस समय गैनाराम जी व छगनी द्वारा जवाब देहन्दागण के पिता भैराराम जी को गोद लेने से पूर्व गैनाराम जी ने सिणगारी पुत्री मल्लाराम जी निवासी दीपावास रोड़ रायपुर नाम की महिला को बतौर रखेल के रूप में अपने साथ रखने लग गये थे। उस दौरान छगनी देवी भी जीवित थी। लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गारी देवी को पुत्र प्राप्ति की आशा में गैनाराम जी ने अपने साथ रखेल के ा में रखना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से कानूनन उक्त सिणगारी देवी ाराम जी की वैद्य विवाहिता पत्नि का दर्जा हासिल नहीं कर सकती थी। कारण ५ उस समय छगनी देवी (वैद्य विवाहिता पत्नि) भी गैनाराम जी के साथ बतौर त्नि के रह रही थी, साथ ही सिणगारी देवी का भी अपने पूर्व पति प्रभूराम जी ाटी माली निवासी दागला से विवाद हो रखा था तथा सिणगारी देवी के अपने पूर्व ति प्रभूराम जी से एक पुत्री मांगुड़ी पैदा हुई थी। सिणगारी देवी का अपने पूर्व ति प्रभुराम जी से विवाद हो जाने की वजह से सिणगारी देवी व मांगुड़ी अपने ीहर में आकर के रहने लग गई थी। इसी दौरान सिणगारी देवी गैनाराम जी के सम्पर्क में आ गई जिस पर सिणगारी देवी अपने पूर्व पति प्रभुराम जी से पैदा हुई पुत्री मांगुड़ी को साथ लेकर गैनाराम जी के पास निमाज में रखेल के रूप में आकर रहने लग गई थीं तब सिणगारी देवी की कोख से उसके पूर्व पति प्रभुराम जी से पैदा हुई पुत्री मांगुड़ी की शादी व मुकलावा भी गैनाराम जी ने ही कर दिया था। लेकिन उक्त मांगुड़ी गैनाराम जी की जायन्दा पुत्री नही होकर के वह प्रभुराम जी भाटी निवासी दागला वाली की पुत्री थी। इसी प्रकार सिणागारी देवी भी गैनाराम जी की वैद्य विवाहिता पत्नि नही होकर प्रभुराम जी भाटी निवासी दागला वाले की पत्नि थी, कि सिणगारी देवी को गैनाराम जी बतौर रखेल के रूप में अपने साथ रखने लग गये थे। लेकिन उक्त सिणगारी देवी से भी कोई सन्तान पैदा नहीं हुई थी, तब गैनाराम जी व उसकी वैद्य विवाहिता पत्नि छगनी देवी ने अपना वंशावली आगे चलाने की मंशा से भैराराम जी को गोद लिया था तथा गोदनामा की समस्त रश्म अदायगी करते हुये सभी रिश्तेदारों की उपस्थिति में उक्त गोद लेने का अनुष्ठान पूर्ण किया था उस समय सिणगारी देवी जो कि गैनाराम जी के परिवार के शामिल ही रह रही थी। वह भैराराम जी को गोद लेने की इस कार्यवाही से सहमत नहीं थी। उक्त सिणगारी देवी अपनी कोख से पैदा हुई मांगुड़ी के पति जगजी को बतौर घर जंवाई के रूप में अपने साथ रखकर गैनाराम जी की समस्त चल व अचल सम्पति सौप देना चाह रही थी। लेकिन जगजी को घर जंवाई रखने में गैनाराम जी व उनकी वैद्य विवाहिता पत्नि छगनी देवी सहमत नहीं थे। इसी वजह से इन्होने अपना वंश वंशावली आगे बढ़ाने की मंशा से अपने ही परिवार के भैराराम जी को गोद लिया था, कि गैनाराम जी का स्वर्गवास होने से पूर्व ही छगनी देवी का स्वर्गवास हो गया था। उन दिनो भैराराम जी की दोनो पुत्रीया हस्तु देवी व गट्टूदेवी ससुराल जा रही थी तथा सिणगारी देवी व प्रभुराम जी भाटी से पैदा हुई पुत्री मांगुड़ी की भी [illegible] तब गैनाराम जी का स्वर्गवास उपरांत हिन्दू रीति रिवाज [illegible] क्रियाकर्म, पिण्डदान, गैनाराम जी के पुत्र भैराराम जी ने ही किया था तथा [illegible] की समस्त चल व अचल सम्पति पर भैराराम जी ही काबिज थे तथा भै[illegible]राम जी गैनाराम जी के गोद गये थे जिसकी प्रविष्टि इनके कुल के रावजी ने अपनी बही में इन्द्राज किया था। गैनाराम जी के स्वर्गवास के उपरांत सिणगारी देवी पत्नी प्रभुराम जी भाटी निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ला की नियत खराब हो गई और वह रतनलाल पुत्र गोपूजी से मिली एवं बाले ले रतनलालजी के पक्ष में एक कूटरचित गोदनामा दिनांक 10.08.1958 को पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पर पंजीबद्ध करवा दिया था, जबकि गैनाराम ने अपने जीवनकाल में रतनलाल पुत्र गोपूजी को कभी गोद नहीं लिया था। स प्रकार प्रार्थनापत्र के पद संख्या 05 में वर्णित अनुसार गैनाराम जी के मांगूड़ी त्री नहीं थी न ही गेनाराम जी ने अपने जीवनकाल में मांगूड़ी को 1/4 हिस्सा ा बेरा व उसका जाव वसियत ही किया। इस प्रकार से सायलान की ओर प्रस्तुत गोदनामा दिनांक 08.08.1958 कतई कूटरचित व फर्जी दस्तावेजात् है, कारण कि सेणगारी देवी कभी भी गैनाराम जी की वैध विवाहिता पत्नी नहीं रही थी तथा सेणगारी देवी का अपने पूर्व पति प्रभूराम जी से विवाह विच्छेद भी नहीं हुआ था तथा मांगूड़ी गैनाराम जी की पुत्री न होकर प्रभूराम जी पुत्री है। गैनाराम जी व उनकी वैध विवाहिता पत्नी छगनी देवी द्वारा भैराराम जी को गोद लिया हुआ होने से गैनाराम जी चल अचल जायदाद भैराराम जी व उनके वारिसान को प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार से सायलान को इस कुटरचित व फर्जी गोदनामा के जरिये कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। सायलान की ओर इस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत बैचाननाम कूटरचित व फर्जी है तथा प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा नम्बर 795, 796, 792, 794 व 798 की सम्पूर्ण जायदाद पर जब मांगूड़ी देवी का ही कोई कब्जा काश्त एवं हक अधिकार नहीं रहा था तो उसे इस प्रकार का दस्तावेज निष्पादित करनें का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था न ही मौके पर कब्जे का हस्तान्तरण हुआ। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 07 व 08 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। गोपूराम पुत्र शिम्भू जी के फौत होने पर उनकी खातेदारी जमीन में हिन्दू माफिक उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार रतनलाल का नाम उसके भाईयों के साथ बतौर पुत्र के रूप में दर्ज हुआ था। इस प्रकार से समस्त सरकारी दस्तावेजात् में भी रतनलाल की वल्दियत गोपूजी ही लिखी गई है। जिसके सबूत के रूप में विधानसभा निर्वाचन नामावली वर्ष 1980 की इस जवाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश है तथा रतनलाल का स्वर्गवास होने पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में भी रतनलाल की वल्दियत गोपूजी ही दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रतनलाल कभी गैनाराम जी के गोद गया ही नहीं था। इस प्रकार से इस में वर्णित अनुसार गैरसायलान के पिता भैराराम वल्द गैनाराम जी ने अपने जीवनकाल में मांगूड़ी से कभी भी कोई खातेदारी भूमि खरीद नहीं की थी। न ही बतौर खरीददार के रूप में कभी कोई हस्ताक्षर किये थे। इस पद में वर्णित अनुसार कोई [illegible] निष्पादित नहीं हुआ था। इस प्रकार इस पद में मांगूड़ी से सम्बन्धित वसीयतनामा बाबत् कथन एवं मांगूड़ी द्वारा बैचान करने से सम्बन्धित कथन कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 09 व 10 में वर्णित कतई असत्य झूठे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बूनियाद होनें से अस्वीकार है। राजस्व मौजा निमाज प्रथम तहसील जैतारण में त कृषि भूमि खसरा नम्बर 795, 796 में जवाब देहन्दागण 1/2 हिस्से के बेज खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 792, 794 व 798 कुल सरा 03 कुल रकबा 48-12 बीघा की सम्पूर्ण भूमि के जवाब देहन्दागण ही बिज खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 946 व 947 कुल खसरा 3 कुल रकबा 7-13 बीघा के 1/2 वे हिस्से के जवाब देहन्दागण ही काबिज तेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि जवाब देहन्दागण को उत्तराधिकारी अधिनियम तहत भैराराम दत्तक पुत्र गैनाराम जी के विधिक उत्तराधिकारी होने से मिली है था राजस्व रेकर्ड में भी जवाब देहन्दागण/गैरसायल 01 भैराराम के वारिसान के ाम ही दर्ज है। इस सम्बन्ध में सायलान बंट्वाड़े अनुतोष प्राप्त करनें के कतई धिकारी नहीं है। न ही इस बाबत् बंटवाड़े की डिक्री जारी किये जाने की आवश्यकता है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 11 में वर्णित बैचान विलेख दिनांक 29. 05.1962 कतई कूटरचित व फर्जी होने से इसके आधार पर सायलान की ओर से लेखे गये तमाम कथन गलत व फर्जी होने से अस्वीकार है। अतः सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 12, 13 व 14 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थनापत्र के जरिये सायलान घोषणा, बंटवाड़ा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का कतई अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थनापत्र के पद संख्या 15 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद है। इस प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि में सायलान का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नहीं रहा था, न ही वर्तमान में है। इसलिये समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान की बजाय देहन्दागण के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दगण को होगी। सायलान ने इस प्रार्थनापत्र में झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थनापत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र दस्तावेजात् पेश कर निवेदन है कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र काबिल खारिज होने से खारिज किया जावें।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के सन्दर्भ में बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) ***प्रथम दृष्ट्या मामला :-*** वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध खातेदारी अधिकारो की घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

...त कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ...म निमाज में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व बेरा रूपारेल उसका सड़ा खसरा संख्या 795 व खसरा संख्या 796 जिस पर दो अरट लगे थे, ...नि दो ढाणे, उत्तरी ढाणा गेना पुत्र सुजा तथा दक्षिण ढाणा गोपू, शिवराव पिसरान् ...म्भू की खातेदारी कब्जे काश्त का था। इसी अनुसार कुएं व सड़े का पर्चा लगान ...66 बन्दोबस्त विभाग द्वारा दिनांक 14.12.1954 को जारी किया गया। तथा खसरा ...ख्या 792, 794, 798 की आराजी के 15.10.1955 के पूर्व से गैना वल्द सुजा ...तौर काश्तकार थे, का पर्चा लगान संख्या 665 दिनांक 14.12.1954 को जारी ...कया गया जिसमें गैना वल्द सुजा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। खसरा संख्या ...46, 947 के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार गैना वल्द सुजा व 1/2 हिस्से पर ...भैरदा वल्द दौला था जिसका पर्चा लगान 218 दिनांक 14.12.1954 को जारी ...या गया। जमाबंदी खतौनी में गैना का नाम दर्ज था। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2016 से 2019 व 2020 से 2023 में नाम दर्ज रहा। गैना वल्द सुजा के देहान्त संवत् 2014 से पूर्व गैना व उसकी पत्नी ने प्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के पिता व पति स्वर्गीय श्री रतनलाल पुत्र गोपू माली को रितिरिवाज अनुसार गोद लिया व स्वर्गीय गैना वल्द सुजा के तीन जायन्दा पुत्रियां हस्तुड़ी, गटुड़ी व मांगुड़ी थी। गैना ने बेरा रूपारेल का जाव व बेरा का 1/2 हिस्सा व कुआं व सड़े का 1/2 का आधा यानि 1/4 हिस्से की जमीन पुत्री मांगुड़ी को वसियत कर दी। सिंगारी बेवा गैना ने रतनलाल पुत्र गोकुल को जरिए लिखित पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 08.08.1958 को तकमील करवाया, दिनांक 08.08.1958 को रतनलाल के माता पिता फौत हो चूके थे। अप्रार्थी संख्यां 1/1 से 1/11 के पिता वं पंति भैरा वल्द शिवलाल के गैना की जायन्दा पुत्री मांगुड़ी से गैनाराम की वसीयत से प्राप्त भूमि खसरा संख्या 792, 794 व 798 की भूमि का हिस्सा व खसरा संख्या 795 व 796 रतनलाल व मूला द्वारा जरिए लिखित पंजीबद्ध बैचान क्रय किया गया। उक्त बैचाननामा पटवारी को पेश नही कर गैना वल्द सुजा के देहान्त के पश्चात भैरा वल्द शिवलाल स्वयं को गलत रूप से गैना वल्द सुजा का दत्तक पुत्र होना बताकर दिनांक 11.10.1966 को गैना का फौतेदगी नामान्तरण संख्या 119 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जो आरम्भतः शून्य है। अतः प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का बैचान, इकरार, रहन, वसीयत करने से रोकने के अधिकारी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अप्रार्थी भैरा के वारीसान अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/10 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि गैनाराम की मृत्यु होने पर फौतेदगी नामान्तरण [illegible] 119 से वादग्रस्त आराजी भैराराम वल्द गैनाराम के नाम दर्ज हुई जो [illegible] वैध व सही है। उक्त नामान्तरण की जानकारी प्रार्थीगण को [illegible] प्रार्थीगण का पिता रतनलाल, गैनाराम वल्द सुजा का दत्तक पुत्र नही होकर गोपूराम [illegible]त्र शिम्भू जी का पुत्र है तथा जवाबदेहन्दागण के पिता भैराराम, गैनाराम के दत्तक पुत्र है। गैनाराम तथा उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

छगनी देवी ने भैराराम को माफिक हिन्दू रीति रिवाज संवत् 2012 में गोद लिया था। अतः अप्रार्थीगण का नाम भू अभिलेख में वैध रूप से दर्ज है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष द्वारा मृतक खातेदार गैना के दत्तक पुत्र को लेकर विवाद है। गैनाराम ने भैराराम को दत्तक पुत्र लिया था या नही, या रतनलाल को लिया था। पंजीबद्ध गोदनामा का वादपत्र के अनुतोष पर क्या प्रभाव होगा। मांगूड़ी, गैनाराम की पुत्री थी या नही तथा गैनाराम ने मांगूड़ी के पक्ष में वसियत की या नही। नामान्तरण संख्या 119 वैध रूप से स्वीकृत किया गया या नही तथा वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में अप्रार्थीगण का नाम वैध रूप से दर्ज है या त्रुटिपूर्ण रूप से आदि प्रश्नो का विनिश्चय विस्तृत साक्ष्य के उपरान्त ही कियां जा सकता है। अतः प्रथमं दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होना बखूबी साबित होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुआ हैं, साथ ही बिन्दू संख्या 01 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य मृतक खातेदार गैनाराम के वैध वारीसान को लेकर विवाद है। प्रार्थीगण के पिता रतनलाल या अप्रार्थीगण के पिता भैरा में से गैनाराम ने किसे गोदपुत्र के रूप में रखा था। पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 29.05.1962 व गोदनामा दिनांक 08.08.1959 का वादपत्र के अनुतोष पर क्या प्रभाव रहेगा, यह विस्तृत साक्ष्य का विषय है? अप्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में उनका नाम दर्ज है जो नामान्तरण संख्या 119 से दर्ज हुआ जो कि वैध प्रविष्ठि है। अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो वे अपने खातेदारी हक व अधिकारो के उपभोग से वंचित हो जायेंगे जिससे उन्हे अपूर्णीय क्षति संभव है। वही प्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि नामान्तरण संख्या 119 विधिविरूद्ध प्रविष्ठी है जो आरम्भतः शून्य है अप्रार्थीगण का नाम भू अभिलेख में विधि विरूद्ध रूप से दर्ज है अतः यदि इन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो भू अभिलेखीय प्रविष्ठियो के आधार पर अप्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी का व्ययन कर सकते है तथा भू अभिलेख में परिवर्तन कर सकते है जिससे वादपत्र के सम्यक निस्तारण में अनावश्यक जटिलता एवं विलम्ब के साथ साथ प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना संभव है। अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू पूर्ण रूप से किसी भी पक्ष में साबित नही होते है लिहाजा इस स्तर पर उपर्युक्त दोनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदुओं [illegible] हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र भली भांति [illegible] से इसे स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद वादग्रस्त [illegible] भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने तथा वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधिसंगत एवं [illegible] होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र र्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया ता है। उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी सरहद मोजा निमाज पटवार हल्का निमाज भू भिलेख निरीक्षण क्षेत्र निमाज तहसील- जैतारण जिला- पाली (राजस्थान) में थत खसरा नम्बर 795 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 96 रकबा 1-13 बीघा किस्म गै.मु. सड़ा, खसरा संख्या 792 रकबा 19-02 घा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 794 रकबा 19-13 किस्म चाही प्रथम, वसरा संख्या 798 रकबा 9-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 946 कबा 4-17 बीघा किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 947 रकबा 2-16 बीघा केस्म बारानी प्रथम के वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करे तथा रहन, बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested